

राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर पीठ जयपुर

आदेश

एकलपीठ दाण्डिक विविध जमानत प्रार्थना पत्र संख्या-4507/2015

श्री शंकर सिंह बनाम राजस्थान राज्य

दिनांक: 30.04.2015

माननीय न्यायाधिपति श्री प्रशान्त कुमार अग्रवाल

श्री श्याम लाल शर्मा -अधिवक्ता अभियुक्त- प्रार्थी की ओर से
श्री आर एस राघव विद्वान् लोक अभियोजक वास्ते राज्य

--

अभियुक्त- प्रार्थी ने अपनी जमानत हेतु यह प्रार्थना पत्र दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 439 के अधीन प्रस्तुत किया है। इस पर अधिवक्ता अभियुक्त- प्रार्थी व विद्वान् लोक अभियोजक को सुना गया तथा पत्रावली पर उपलब्ध करायी गयी सामग्री का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया।

प्रकरण के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों तथा पत्रावली पर उपलब्ध करायी गयी सामग्री तथा विशेष रूप से इस तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए कि अधिवक्ता प्रार्थी के अनुसार प्रार्थी के विरुद्ध पूर्व में अन्य कोई आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध नहीं हुआ है, मैं प्रकरण के इस प्रक्रम पर गुणदोषों पर कोई अन्तिम राय व्यक्त किये बिना अभियुक्त- प्रार्थी को जमानत की सुविधा दिया जाना उचित मानता हूँ।

अतः अभियुक्त- प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत यह जमानत का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि यदि अभियुक्त- प्रार्थी श्री शंकर सिंह पुत्र रत्न सिंह द्वारा रूपये 50,000/- (पचास हजार रूपये मात्र) का स्वयं का बंध पत्र व रूपये 25,000/- - 25,000/- (पच्चीस- पच्चीस हजार रूपये मात्र) की दो प्रतिभूति विचारण न्यायालय की सन्तुष्टि की पेश की जावे तो उसे प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या-275/2015 पुलिस थाना-ओटवाड़ा जिला जयपुर से सम्बन्धित प्रकरण में इस शर्त के साथ जमानत पर रिहा कर दिया जावे कि वह प्रकरण की सुनवाई के दौरान न्यायालय द्वारा बुलाये जाने पर उपस्थित होती रहेगी।

(न्या० प्रशान्त कुमार अग्रवाल)

अनिलशर्मा/M-80

"all corrections made in the judgment/order have been incorporated in the judgment/order being e-mailed." अनिलशर्मा/ps